

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

धर्मपाल
उप सचिव
Dharam Pal
Deputy Secretary
TELFAX : 23364193



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
225, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
225, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

Dated

No.C/4/2004-MPLADS

1st July, 2010

To

- (1) The Secretary, Nodal Departments of all States / UTs
- (2) The Commissioner, Corporation of Kolkata / Chennai / Delhi, District Collector / District Magistrate / Deputy Commissioner All Districts.

Subject: Reporting of information through Online Monthly Progress Reporting System.


Sir,

I am directed to refer to this Ministry letter of even nukber dated 4.2.2009 on the subject mentioned above. The Ministry has embarked on the Online Monthly Progress Reporting System(OMPRS), a dynamic mechanism envisaged to make available more disaggregated level information and to enable faster release of funds. It seeks to establish a common platform across the country to generate the Monthly Progress Report in a uniform format and furnish them online, as an alternative to furnishing of information through hard copy and again compiling them in the Ministry, as is done at present. The Online Monthly Progress Report System (OMPRS) can be accessed through the MPLADS website i.e. www.mplads.nic.in. A brief note on the System and the instruction manual for operationalization has already been sent to you.

2. You are requested to file the complete and correct update information online. You may also send the copy of the online information duly signed by the District Authorities for the purpose of release of funds.

3. The Utilization Certificate (UC) and Audit Certificate (AC) will continued to be furnished in hard copy only as per the existing provisions of the Guidelines.

Yours faithfully,


(Dharam Pal)
Dy. Secretary to the Govt. of India
Tele Fax No. 23364193

Copy to:

- (i) Lok Sabha Committee on MPLADS**
- (ii) Rajya Sabha Committee on MPLADS**
- (iii) Senior Technical Director (NIC) for necessary action and direction to the State / District NICs.**

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

धर्मपाल
उप सचिव
Dharam Pal
Deputy Secretary
TELFAX : 23364193



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
225, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
225, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

Dated

सं. सी/4/2004-एमपीलैड्स

1 जुलाई, 2010

सेवा में

- (1) सचिव, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल विभाग
- (2) आयुक्त, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली/मुंबई नगर निगम,
सभी जिलों के कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।


विषय:- ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से सूचना भेजना ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 4.2.2009 का हवाला देने का निदेश हुआ है । मंत्रालय ने ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्टिंग प्रणाली (ओएमपीआरएस) की शुरुआत की है जो कि प्रभावी तंत्र है, जिसमें अलग-अलग स्तर की सूचना उपलब्ध कराने तथा निधि को जल्दी जारी करने की संकल्पना की गई है । इसका उद्देश्य हार्ड कॉपी के माध्यम से सूचना भेजने और उसे पुनः मंत्रालय में संकलित करने, जैसा कि इस समय किया जाता है, उसके विकल्प के रूप में एक समान प्रपत्र में मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने और उसे ऑनलाइन भेजने के लिए समूचे देश में एक कॉमन प्लेटफार्म स्थापित करना है । ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्टिंग प्रणाली (ओएमपीआरएस) एमपीलैड्स की वेबसाइट अर्थात् www.mplads.nic.in से प्राप्त की जा सकती है । प्रणाली से संबंधित एक संक्षिप्त नोट तथा इसके प्रचालन के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको पहले ही भेजा जा चुका है ।

2. आपसे अनुरोध है कि आप पूरी और सही अद्यतन सूचना ऑनलाइन भेजें । निधि जारी करने के प्रयोजन से जिला प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ऑनलाइन सूचना की प्रति भी भेजें ।
3. दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र (एसी) केवल हार्ड कॉपी में ही भेजी जाती रहेगी ।

भवदीय,


(धर्म पाल)

उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स नं. 23364193

प्रतिलिपि:-

- (1) एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति ।
- (2) एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति ।
- (3) वरिष्ठ निदेशक (एनआईसी) को राज्य/जिलों के एनआईसी को निर्देश देने और आवश्यक कार्रवाई हेतु ।